141 138

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हज़ार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

04AA 002304 | 15

[illegible] भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की [illegible]
46 (1) Pro (C) के अधीन
[illegible] भारतीय स्टाम्प अधिनियम
[illegible] 1899 की अनुसूची
[illegible] 23 IA – With the Permission by S.D.O. Simdega vide Case No. 156 R 811 / 2014-15 order dated 30-9-14

14.2.15

14-2-15

14/2/15

§1§ लेखयकारी :- श्री कुंवर टेटे पिता स्व0 मनसुख टेटे, जाति- खड़िया, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- गोतरा खम्हनटोली थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. .. .. बिक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या :- 63 / 2015

§2§ लेखयधारिणी :- श्रीमती नीलमणि एक्का पति श्री स्टेफन लकड़ा जाति- उराँव, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम- गोतरा आनन्दनगर थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

शपथ-पत्र संख्या :- 64 /2015

§3§ लेखयप्रकार :- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

§4§ मूल्य :- मोबलिग चार लाख साठ हजार रूपये अंके 4,60,000/- रूपये होता है ।

§5§ सम्पति :-एराजियात अन्दर मौजा- गोतरा आनन्दनगर, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 204 §दो सौ चार§ प्लॉट नं0 1648 §सोलह सौ अड़तालिस§ रकबा 1.37 एकड़ में से 0.15 एकड़ §पन्द्रह डिसमिल§ शहरी क्षेत्र के चार भागों में से विक्रय वाली जमीन आवासीय क्षेत्र में पड़ता है जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी :-

उत्तर :- प्लॉट नं0 1649 घेरा एवं इसी प्लॉट का अंश,

दक्षिण :- नीज क्रेता का घेरा एवं दाउद टेटे का टांड़,

पूरब :- अनुग्रह मिंज का टांड़,

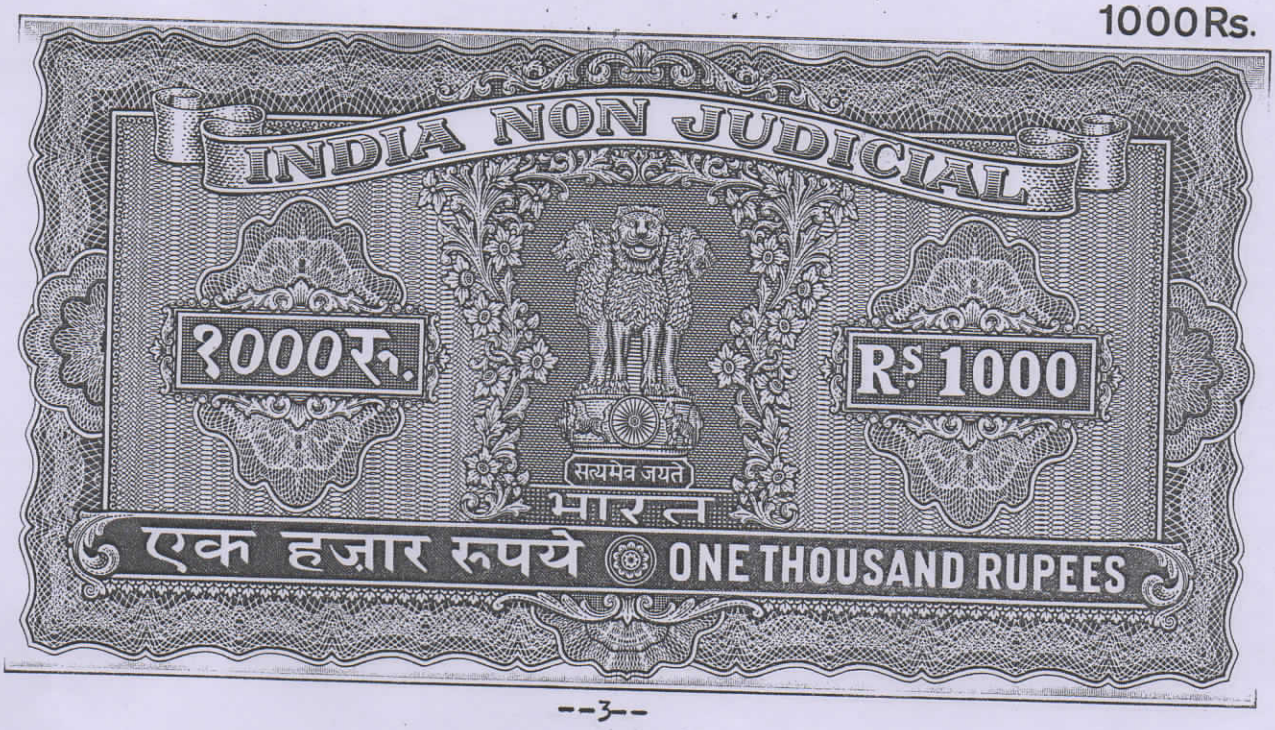

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

सत्यमेव जयते

भारत

Rs 1000

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

पश्चिमः- इसी प्लॉट का अंश नीज बिक्रेता ।

मालगुजारी 10 पैसा (दस पैसा) अलावे सेस सलाना ।

(1) चूँकि मुझ लेख्यकारी को मकान बनाने एवं अन्य दीगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे बगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

(2) इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

(3) मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्रीत वर्णित जमीन खतियानी है । खतियान में मेरे दादा चुन्दा खड़िया वगैरह के नाम से नाप दर्ज है । मेरे दादा एवं पिताजी की मृत्यु हो चुकी है । उनकी मृत्यु के बाद जमीन का आपसी मौखिक भैयादी बँटवारा हो चुका है । जो जमीन मैं बेच रहा हूँ मेरे निज हिस्से की जमीन है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

हस्ताक्षर
14/2/15

1000Rs.

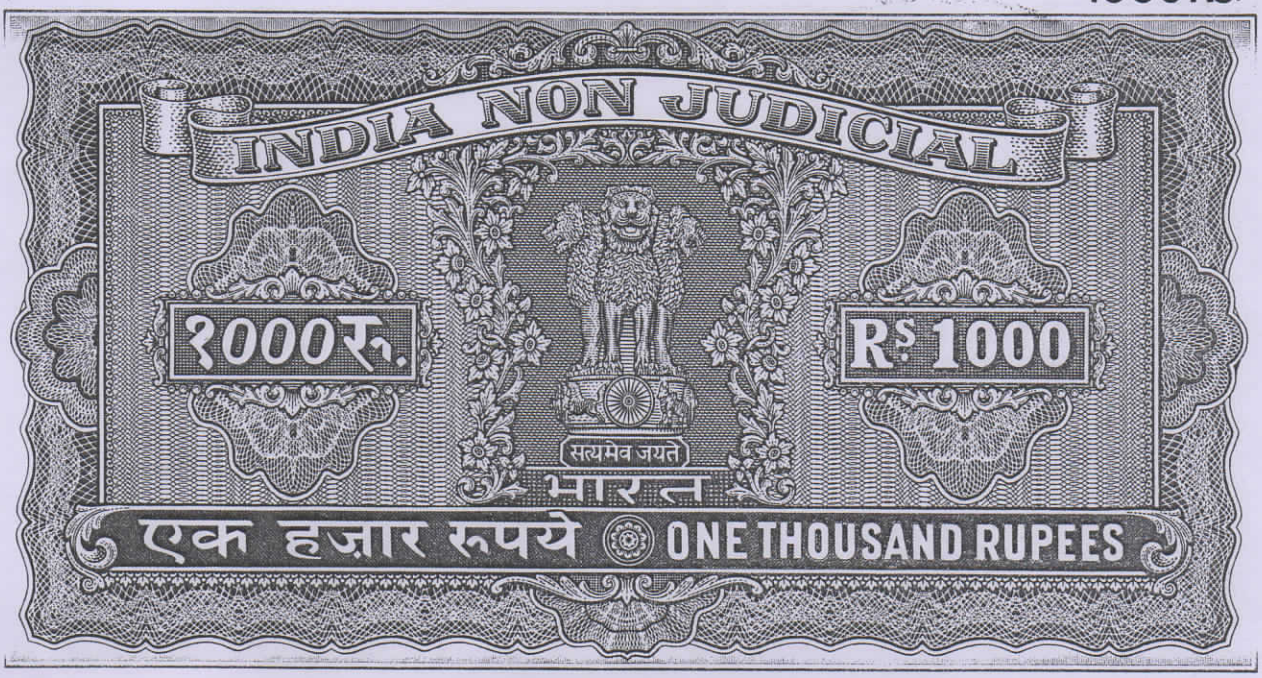

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

§4§ चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 156 आर 811/2014-15 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 30.9.014 को प्राप्त हुई एवं जिसका ज्ञापांक 851§11§ दिनांक 30.9.014 है ।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर काविज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजरूआ के तहत नहीं है ।

1000Rs.

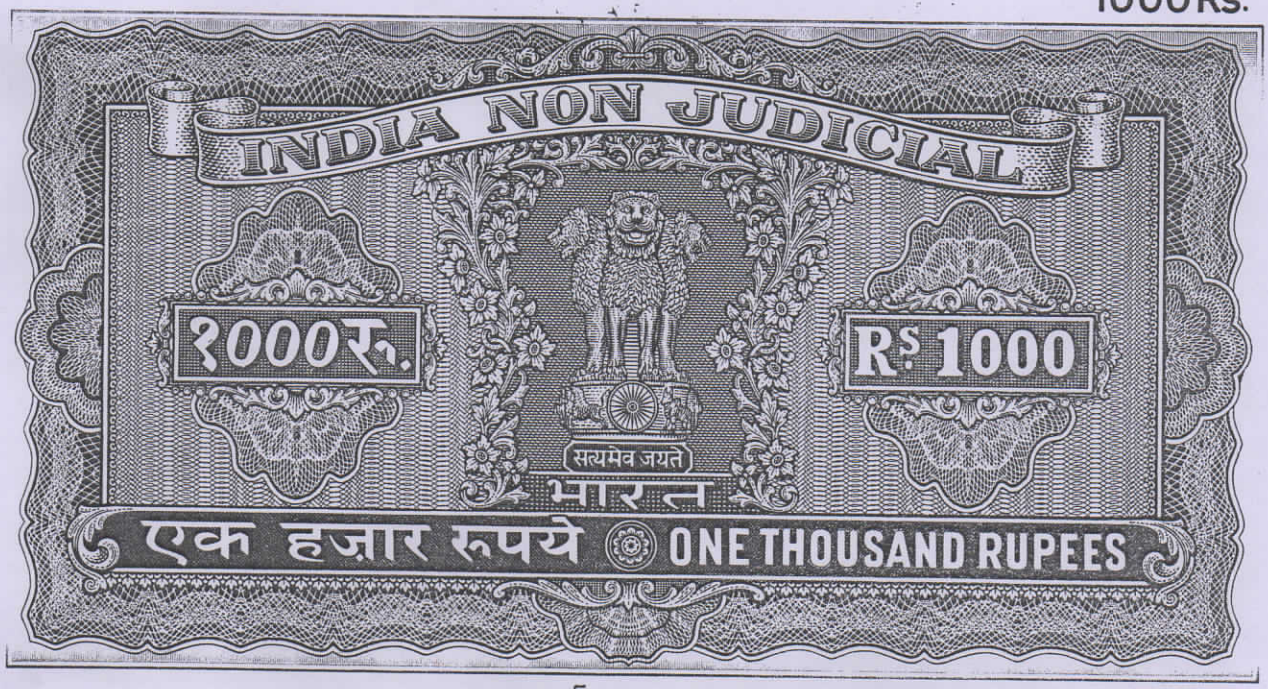

--5--

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है। कुमार हेंब्रे 14/2/15

प्रमाणित किया जाता है कि लेखकारी के बाँये हाथ का पाँचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।

संजय कुमार मल्लाह
अधिवक्ता
14.02.2015

कुमार 14/2/15

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

नीलमणि एक्का
14/2/2015

प्रमाणित किया जाता है कि लेखधारिणी के बाँये हाथ का पाँचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।

संजय कुमार मल्लाह
अधिवक्ता
14.02.2015

100 Rs.

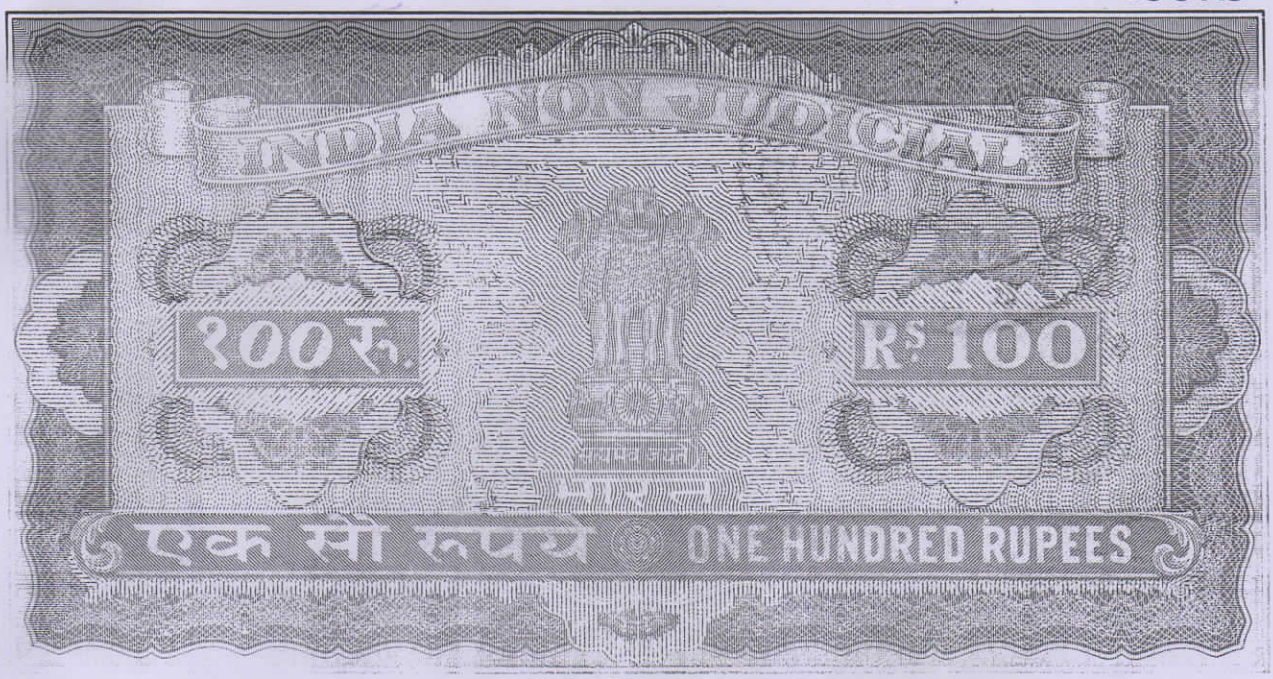

--5--

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/- संजय कुमार महतो
अधिवक्ता
(प्रारूपकर्त्ता)
तारीख:- 14.02.2015

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में कुल 648 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है एवं पृष्ठ संख्या 7 से 9 तक खाली है ।

टंकक
मो० मकसूद
14-2-2015
मो० मकसूद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।

14/2/15